| तारीख हुक्म | हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>श्री चम्पालाल नवलाराम माली, पता मारवाड़ जंक्शन, जार्डन रोड़, नियर रामदेव प्लाजा होटल मारवाड़ जंक्शन पाली (राज.)<br>बनाम<br>लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन<br>प्रथम सूचना अपील संख्या :– 28/2026<br>जीसीएमएस नं. :– 2026/50<br>(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **07.04.2026** | 1. पत्रावली आज पेश हुई । अपीलार्थी स्वयं उपस्थित। प्रत्यर्थी का जवाब प्राप्त।<br><br>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 05.12.2025 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।<br><br>3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन ने जरिये पत्रांक/भू.अ./RTI/2026/12 दिनांक 24.03.2026 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2025 में वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 01 दिनांक 09.02.2026 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।<br><br>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध लोक सूचना अधिकारी के जवाब का अध्ययन करने से यह सुस्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उनके आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2025 को प्रस्तुत आवेदन–पत्र में मांगी गई सूचना, जो संबंधित कार्यालय में उपलब्ध थी, नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम की 2005 की धारा 2 (च) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उक्त अधिनियम के अनुसार जो कुछ पत्रावली में उपलब्ध हो सकता है वही सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का मन्तव्य है। यह सत्य है कि अधिनियम की धारा 2 (च) में सूचना की परिभाषा में 'राय' का भी उल्लेख है परन्तु कोई भी लोक सूचना अधिकारी इन पर अपनी निजी राय सूचना के रूप में उपलब्ध नहीं करा सकता।<br><br>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह पाया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का समुचित एवं संतोषजनक निराकरण किया गया है तथा अब जैर प्रकरण में हम अतिरिक्त हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। लिहाजा अपील–अपीलार्थी खारिज की जाती है।<br><br>6. निर्णय आज दिनांक **07.04.2026** को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।<br><br>**(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)** | |